न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—30/2016/223 (2016/00030)

1. श्रीमती कमलेश कंवर पत्नि युधिष्ठर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पिपलाज, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. भंवरसिंह पुत्र गिरवरसिंह,
2. गोविन्दसिंह पुत्र गिरवरसिंह,
3. तेजसिंह पुत्र गिरवरसिंह,
4. प्रधुम्न सिंह पुत्र गिरवरसिंह,
5. जोनिसिंह पुत्र गोविन्दसिंह,
6. हेप्पीसिंह पुत्र भंवरसिंह,
   समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम पिपलाज, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर
7. तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 15.6.2015 अंतर्गत वाद संख्या 200/2012.

उपस्थितः—

1. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 6.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 7.

निर्णय

दिनांकः— 29.11.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.6.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 188 व 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खाता संख्या नया 65 पुराना 68 खसरा नंबर 467 रकबा 1.12 है0 एवं खाता संख्या नया 64

पुराना 67 खसरा नंबर 492 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 491 रकबा 1.82 है0 व 523 रकबा 1.49 है0 जो कि ग्राम गोटड़ा में स्थित है जिस पर वादी का बतौर खातेदार कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं ख ाता संख्या 65–68 में वादी का 1/6 हिस्सा एवं खाता संख्या 64–67 में वादी का 1/4 हिस्सा होकन मौके पर वादी काबिज काश्त चली आ रही है किन्तु प्रतिवादीगण का उक्त भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं होते हुए भी जबरन वादीया की भूमि को हड़पना चाहते है तथा लड़ाई झगडा करते है एवं वादी को भूमि से बेदखल करने की धमकी देने के कारण वादी को यह वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है । अन्त में वाद डिक्री करने का निवेदन किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15.6.2015 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर गोर नहीं किय कि अपीलांट को वाद में बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एवं बिना नोटिस दिये एकतरफा में निर्णय प्रदान किया है जो कि न्याय के सहज व प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विवादित भूमि खाता संख्या नया 65 पुराना 68 खसरा नंबर 4667 रकबा 1.12 है0 एवं खाता संख्या नया 64 पुराना 67 खसरा नंबर 492 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 491 रकबा 1.82 है0 एवं 523 रकबा 1.49 है0 जो कि ग्राम गोटड़ा में स्थित है जिस पर वादीया का बतौर खातेदार कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं खाता संख्या 65–68 में वादी का 1/6 हिस्सा एवं खाता संख्या 64–67 में वादी का 1/4 हिस्सा होकर मौके पर वादीया काबिज काश्त चली आ रही है किन्तु प्रतिवादीगण का उक्त भूमि में कोई व अधिकार नहीं होते हुए भी जबरन वादीया की भूमि हड़पने चाहते है तथा बेदखल करने की धमकी देने के कारण यह वाद प्रस्तत करना पड़ा है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज रजिस्टर कर वाद का नोटिस प्रतिवादीगण को जारी किया गया जिस पर प्रतिवादी का जवाबदावा में पत्रावली चल रही थी किन्तु अधी0न्याया0 ने बिना जवाबदावा लिये एवं बिना अभिकथनों के आधार पर तनकियामक ायम किये बिना ही वाद को लोक अदालत में रखकर अपीलांट को बिना नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय व डिक्री दिनांक 15.6.2015 द्वारा अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया है जो विधिविरूद्ध है । यह भी कथन किया कि वादीया का वाद वादी की साक्ष्य में चल रहा था एवं वाद में वादी की साक्ष्य भी नहीं हुई थी । लोकर अदालत में केवल वे ही प्रकरण निर्णित किये जा सकते है जिनमें पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया हो किन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है । अधी0न्याया0 ने बिना न्यायिक प्रक्रिया अपनाये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादी/अपीलांट का वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांटठ को कोई नोटिस नहीं दिया गया एवं

एकतरफा में निर्णय पारित किया है जिसकी जानकारी पटवारी हल्का से हाल ही में दिनांक 3.1.2016 को होने पर प्रार्थिया ने दिनांक 4.1.2016 को केकड़ी जाकर जानकारी कर निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया । दिनांक 6.1.2016 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात संयुक्त खातेदारी की आराजी है जिसका पूर्व में पक्षकारान के मध्य बंटवारा हो चुका है तथा उसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है । अपीलांट ने रेस्पो0 को पाबंद करने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वादिया/अपीलांट का वाद खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीया/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया जिस पर प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता दिनांक 5.12.2012 को अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित हुए । तत्पश्चात् पत्रावली जवाब प्रतिवादीगण में विचाराधीन रही । प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 19.12.2013 को जवाब दावा पेश किये जाने पर पत्रावली वास्ते कायमी तनकियात हेतु नियत की जाकर दिनांक 23.9.2014 को वाद में तनकियात कायम की गई तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई । तत्पश्चात् पत्रावली वादी साक्ष्य में चलती रही किन्तु अधी0न्याया0 ने वादी साक्ष्य पूर्ण होने से पूर्व ही पत्रावली को लोक अदालत कैम्प में रखकर वादीया/अपीलांट के वाद को निर्णय व डिक्री दिनांक 15.6.2015 को खारीज करने के आदेश पारित किये है । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा वाद में तनकियात कायम की गई है किन्तु निर्णय तनकीवार नहीं किया गया है एवं न ही वादी एवं प्रतिवादीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है । हम विद्वान अधिवक्ता अपीलांट के इस कथन से भी सहमत है कि लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों को निर्णित किया जाना चाहिये जिनमें पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया हो किन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी , केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.6. 2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 29.1111.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर